दिनांक 30.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 44/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस अधिकारियों का विदाई समारोह

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 30.08.2025 को पुलिस मुख्यालय में आयोजित विदाई समारोह के दौरान अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी डॉ0 एन0 रविन्दर अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन/पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ अफसर उ0प्र0 लखनऊ एवं श्री हृदेश कुमार, पुलिस उपमहानिरीक्षक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0 लखनऊ को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान **श्री नवीन अरोड़ा,** अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकि सेवायें एवं **श्री आर0के0 स्वर्णकार**, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी द्वारा अपने संबोधन में डॉ0 एन0 रविन्दर एवं श्री हृदेश कुमार के सेवाकाल से सम्बन्धित संस्मरणो को साझा किया गया तथा उनके व्यक्तित्व की बड़ाई करते हुये सेवाकाल के दौरान किये गये सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया गया। साथ ही उनके साथ बिताये हुये पलों का उल्लेख करते हुये उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

डा0 एन0 रविन्दर जी द्वारा अपने सम्बोधन में पुलिस विभाग में अपनी नियुक्तियों के दौरान के महत्वपूर्ण संस्मरणों को साझा करते हुये पुलिस विभाग के सम्पूर्ण कार्यकाल को बहुत अच्छा बताया। अन्त में अपने संबोधन में उनके द्वारा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 सहित कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

श्री हृदेश कुमार जी ने अपने संबोधन में कहा कि मैने अपनी सेवा वर्ष 1985 में बैंक से शुरू की थी, तत्पश्चात बिक्री कर अधिकारी रहने के उपरान्त पुलिस विभाग ज्वाइन किया गया। पुलिस विभाग में कार्य करने के दौरान पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने में सुखद अनुभूति हुयी तथा विभाग में कार्य करने में गर्व हुआ। अंत में अपने संबोधन में उनके द्वारा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 सहित कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कार्यक्रम के अन्त में अपने संबोधन में डा0 एन0 रविन्दर जी द्वारा कार्यकाल के दौरान किये गये कार्यों की सराहना करते हुये उनके सरल व्यक्तित्व की प्रशंसा की गयी। साथ ही यह भी कहा कि डा0 एन0 रविन्दर जी का 06 डीजीपी के साथ लगभग साढ़े तीन साल बतौर जनरल स्टाफ अफसर का कार्यकाल उनके पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों के साथ–साथ फील्ड में किये गये कार्यों के अनुभव से ही सम्भव हो सका। अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले श्री ह्वदेश कुमार के बारे में अपने संबोधन में उनके कार्यकाल की प्रशंषा की गयी तथा अंत में दोनो अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

डॉ0 एन0 रविन्दर जी का जन्म 06 अगस्त 1965 को वारंगल(तेलंगाना) में हुआ था, जो वर्ष 1996 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त सहायक पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद, पुलिस अधीक्षक जनपद अम्बेडकर नगर, बस्ती, बलरामपुर, गाजीपुर, चित्रकूट, खीरी, कानपुर देहात, उन्नाव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं, पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच लखनऊ, सतर्कता लखनऊ, भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ, उप प्रधानाचार्य एटीसी सीतापुर, सेनानायक, 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद, 09वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद एवं 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2011 में 'पुलिस उप महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस उप महानिरीक्षक सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 लखनऊ, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र, इलाहाबाद परिक्षेत्र, सहारनपुर परिक्षेत्र एवं पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2014 में 'पुलिस महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी जोन, पुलिस महानिरीक्षक फायर सर्विस लखनऊ एवं पुलिस महानिरीक्षक(प्रोविजनिंग एवं बजट), उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2021 में 'अपर पुलिस महानिदेशक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त अपर पुलिस महानिदेशक (प्रोविजनिंग एवं बजट), उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ एवं लगभग 03 वर्ष 04 माह से अधिक समय तक पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के जनरल स्टाफ ऑफिसर के पद पर नियुक्त रहे। वर्तमान में अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त हैं एवं

पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ ऑफिसर के पद का अतिरिक्त प्रभार भी देख रहे हैं, जहाँ से दिनांकः 31.08.2025 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगे।

डॉ0 एन0 रविन्दर जी निष्ठावान, कर्मठ एवं सरल स्वभाव के सुयोग्य अधिकारी रहे हैं। आपका सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

डॉ0 एन0 रविन्दर जी को गणतन्त्र दिवस 2013 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक, स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(सिल्वर), स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(गोल्ड) एवं गणतन्त्र दिवस 2023 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(प्लेटिनम) से सम्मानित किया गया है।

श्री हृदेश कुमार जी का जन्म 25 अगस्त 1965 को जनपद मेरठ में हुआ था, जो वर्ष 1994 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक जनपद मुरादाबाद, ज्योतिबाफूले नगर, बदायूं, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, फतेहगढ़, पुलिस उपाधीक्षक डॉ0 भीमराव आम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद एवं पुलिस उपाधीक्षक सतर्कता सेक्टर लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2006 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हरदोई, गोण्डा, अपर पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण), अलीगढ़, मथुरा, पुलिस महानिरीक्षक के स्टाफ ऑफिसर, बरेली जोन बरेली, अपर पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ, पीटीसी मुरादाबाद, सीबीसीआईडी लखनऊ एवं अपर पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2020 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस अधीक्षक लखनऊ ग्रामीण, पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ एवं पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2025 में 'पुलिस उप महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस उप महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये, जहाँ से दिनांकः31.08.2025 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगे।

श्री हृदेश कुमार जी कार्यकुशल, लगनशील एवं सरल स्वभाव के अधिकारी रहे हैं। आपका 30 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री हृदेश कुमार जी को गणतन्त्र दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(सिल्वर) से सम्मानित किया गया है।

आगरा जोन
जी.आर.पी

आगरा जोन
जी.आर.पी

आगरा जोन

मेरठ जोन
जी.आर.पी

आगरा जोन
जी.आर.पी

1st FLOOR TOWER 1

दिनांक 30.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 45/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध रूप में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 20 गैलन 05 लीटर के व 39 बोरी में आक्सीटोसीन इंजेक्शन (मूल्य लगभग 2 करोड़) व निर्माण से संबंधित सामग्री बरामद।

दिनॉकः 29–08–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध रूप में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 गैलन 05 लीटर के व 39 बोरी में आक्सीटोसीन इंजेक्शन (मूल्य लगभग 2 करोड़) व निर्माण से संबंधित सामग्री बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1– इरफान पुत्र रज्जा, निवासी सी–312 कैटल कालोनी भढाही टोला ठाकुरगंज, लखनऊ।

2– दिलदार अली पुत्र रज्जा, निवासी 128 महिमा खेडा, थाना रहीमाबाद, लखनऊ।

3– शहनवाज पुत्र जलील, निवासी ईसानगर निकट बाइपास पेट्रोल पम्प, थाना ईसा नगर, जनपद खीरी।

4– मो0 साहेबे पुत्र पीर बक्श, निवासी 285 दर्जिन टोला तिलिया कोर, थाना जनपद रायबरेली।

बरामदगी :–

1– बोरी नं0 1 से 22 तक में 100X180ML सफेद संग की भरी प्लास्टिक की बोतले।

2– बोरी नं0 23 में 100X180ML सफेद रंग की प्लास्टिक की बोतले।

3– गैलन सं0 24 से 43 तक सफेद रंग की प्लास्टिक की गैलन प्रत्येक गैलन में करीब 05 लीटर।

4– बोरी नंबर 44 में 50 लीटर का गैलन जिसमें भरी मात्रा करीब 15 लीटर।

5– बोरी नंबर 45 में 60X100 एम्पुल 02ML की भरी हुई।

6– बोरी नंबर 46 में 150 पॉलीबैग X100 एम्पुल 02ML की भरी हुई।

7– बोरी नंबर 46 में 120 बॉक्श X100 एम्पुल 02ML की भरी हुई।

8– बोरी नंबर 48 में एल्यूमीनियम का नीला कलर कैप लगभग 2500 पीस।

9– बोरी नंबर 49 में एल्यूमीनियम का गोल्डन कलर का कैप लगभग 2000 पीस।

10– बोरी नंबर 50 में एल्यूमीनियम का लाल कलर का कैप लगभग 3000 पीस।

11– बोरी नंबर 51 में एल्यूमीनियम का लाल व हरा कलर का कैप लगभग 1500 पीस।

12– बोरी नंबर 52 में एल्यूमीनियम का सिल्बर व नीला कलर का कैप लगभग 3000 पीस।

13– बोरी नंबर 53 में टाटा नमक व अंकुर नमर लगभग 35 किलो।

14– बोरी नंबर 54 में एल्यूमीनियम कैप सीलिंग मशीन 09 पीस व 01 प्लास, गत्ता पैकिंग सीलर एक पीस, स्टिपिंग मशीन 01 पीस।

15– लगभग 5000 पीस खाली पलास्टिक की बोतले।

16– एक अदद छोटा डाला नं0 यूपी 32वाई एन 6383।

17– एक अदद होण्डा सिटी कार नं0 यूपी 32 डीए 8380।

18– 05 अदद मोबाईल फोन

19– 16,500 रू मात्र

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः–</u>

दिनाँक–29–08–2025 समय 19.37 बजे सरकारी विद्यालय के पास मुजफ्फर खेडा, थाना पारा, जनपद लखनऊ।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को बिहार राज्य से अवैध रूप में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपनिरीक्षक श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में मु0आ0 गौरव सिंह, अखलेश कुमार व शेरबहादुर एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ की एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग गिरोह बनाकर भारी मात्रा में अवैध आक्सीटोसीन इन्जेक्शनों को तस्करी के माध्यम से मंगाकर उसमें मिलावट

करके लखनऊ एवं आस–पास के जनपदों में इसकी अवैध रूप से सप्लाई करते है, जो कि जनवरों सहित जन मानस के लिए भी बहुत ही घातक है। इस गिरोह द्वारा बुद्धेश्वर चौराहे से मोहान रोड होते हुये सदरौना रोड की तरफ जाने पर सरकारी विद्यालय के बगल से जाने वाले रोड पर एक मकान में भारी मात्रा में अवैध आक्सीटोसीन बनाई जा रही है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस व औषधि विभाग से सम्पर्क कर उक्त स्थान पर पहुॅच कर 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि इनका एक गिरोह है, जो लखनऊ एवं आस–पास के जनपदों में अवैध रूप से आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की सप्लाई करते है। यह लोग बिहार राज्य से हाई डेनिसिटी के आक्सीटोसीन इन्जेक्शन पार्सल के माध्यम से मिनरल वाटर बताकर मंगाते है, जिसे आवश्यकतानुसार अपने हिसाब से अलग अलग साइज के एम्पुल में पैक करके उसकी सप्लाई लखनऊ एवं आस–पास के जनपदों में करते है इस इन्जेक्शन का इस्तेमाल पशुओं के दुध निकालने, सब्जियों एवं फलों को कम समय में अधिक विकसित होने आदि के लिए किया जाता है। इस अवैध आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की बिहार राज्य से सप्लाई करने वाले के विषय में जानकारी की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्याः 242(ई) दिनांक 03–04–2001 द्वारा औषधि एवं प्रषाधन नियमावली–1945 के नियम 105 के अन्तर्गत आक्सीटोसीन इन्जेक्शन के विक्रय को मात्र सिंगल यूनिट ब्लिस्टर पैक में ही प्राविधानिक किया गया है। अवैध रूप में आक्सीटोसीन का व्यापार करना जन मानस के जीवन को संकट उत्पन्न होने की व अनेको प्रकार की बीमारियों की प्रबल सम्भावना होती है। इस इन्जेक्शन में मिलावट के तथ्यों के सम्बन्ध में उसका सैम्पल लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0 621/2025 धारा 318(4), 280, 276, 112, 325 बीएनएस को अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

जनपद संतकबीरनगर/थाना धनघटा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **14 हजार 900 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 30.08.2025 को थाना धनघटा, थाना महुली व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कटार मिश्र पुल उत्तरी छोर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त इम्तियाज उर्फ हिमताज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 14 हजार 900 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद संतकबीरनगर से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना धनघटा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इम्तियाज उर्फ हिमताज निवासी ग्राम मैली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–14 हजार 900 रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद कानपुर देहात/थाना भोगनीपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 14 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 30.08.2025 को थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिपरी मोड़, अमरौधा से 03 अभियुक्तों 1–सत्यम 2–सुरजीत 3–गुलशन उर्फ गोलू को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 14 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के लगभग आधा–आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सत्यम निवासी पिथऊपुर थाना सिरसाकलार जनपद जालौन।

2–सुरजीत निवासी सलेमपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

3–गुलशन उर्फ गोलू निवासी सलेमपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1–चोरी की 14 मोटर साइकिल आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना कन्धरापुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 22 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 69 किलो 812 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त कन्टेनर वाहन**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 29.08.2025 की रात्रि थाना कन्धरापुर, स्वाट, सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेहदा अन्डर पास कन्धरापुर से 02 अभियुक्तों 1–अरसद अली 2–सैदुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 22 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 69 किलो 812 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त कन्टेनर वाहन, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरसद अली निवासी ग्राम राइमानगला थाना मीरगंज जनपद बरेली।

2–सैदुल इस्लाम निवासी ग्राम खारपुरीहवी थाना दलगांव जनपद दरांग, असम।

बरामदगी

1–लगभग 22 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 69 किलो 812 ग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त कन्टेनर वाहन।

3–02 मोबाइल फोन।

जनपद बरेली/थाना बारादरी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 12 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 117 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनॉकः 30.08.2025 को थाना बारादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विजय पेट्रोल पम्प के पास से अभियुक्त अमन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 117 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बारादरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमन निवासी कुण्डरा मुस्तकिल थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 12 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 117 ग्राम अवैध स्मैक।

- **जनपद हाथरस/थाना मुरसान (प्रभारी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना मुरसान पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त योगेन्द्र को सश्रम आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभारी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त श्याम किशोर को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद रामपुर/थाना मिलक (प्रभारी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना मिलक पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राकेश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना पयागपुर (प्रभारी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना पयागपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 4(1) पॉक्सो एक्ट व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गोविन्द को 10 वर्ष के कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।